# उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन एवं पौधालय का विकास योजना

(उद्यान विभाग)

## अध्ययन परिकल्प

उत्तराखण्ड शासन

वर्ष 2015–16

## राज्य योजना आयोग
## उत्तराखण्ड

# उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन/ पौधालय का विकास योजना

1. प्रस्तावना :–

उत्तराखण्ड के 11 जनपद पर्वतीय क्षेत्र में आते है जिसमें से दो जनपदों का आंशिक भाग मैदानी क्षेत्र में आता है तथा दो जनपदों का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र का है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 5315.50 हजार हैक्टेयर के सापेक्ष लगभग 302.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र औद्यानिकी के अन्तर्गत है। औद्यानिकी कार्यो में लगभग 88 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक जुड़े हुए है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सेब, आड़ू, खुमानी, पुलम, अखरोट, बादाम एवं बेमौसमी सब्जियॉ, पुष्प, मसाला आदि का उत्पादन किया जा रहा है, मैदानी क्षेत्र में लीची, आम, अमरूद, स्ट्राबरी, मौसमी सब्जियॉ, फल एवं मसालों का उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन/पौधालय का विकास योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखण्ड राज्य के पश्चात् उक्त योजना का सुचारू रूप से संचालित की जा रही है।

योजना का लाभ पर्वतीय क्षेत्र के लघु, सामान्य, दीर्घ कृषिकों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय का विकास योजना के अन्तर्गत फल पट्टी का विकास, अंलकृत बागवानी, पुष्प विकास तथा औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न निवेशों पर राजसहायता हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना में निम्नवत कार्य सम्पादित किये जा रहे है।

**1.1. चयनित क्षेत्रों में फलपट्टी का विकास।**

**1.2. अंलकृत बागवानी एवं पुष्प विकास।**

1. पुष्प प्रदर्शन।
2. पुष्प प्रशिक्षण।

**1.3. औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता।**

1. फल पौध वितरण के ढुलान पर शत–प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
2. सब्जी बीज वितरण के ढुलान पर शत–प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
3. आलू बीज वितरण के ढुलान पर शत–प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
4. पौध सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट/व्याधि नाशक रसायन उपलब्ध कराये जा रहे है।

5. कुरूमुला कीट नियंन्त्रण हेतु 75 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
6. औद्यानिक संयंन्त्र वितरण पर कृषिकों को 50 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
7. औद्यानिक फसलों के व्यवतर्नीकरण(अदरक, हल्दी) पर कृषकों को 50 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।
8. उन्नत सिंचाई टैंक निर्माण पर कृषकों को 0.40 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु 3x2x1.5 मीटर आकार के रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक के निर्माण पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 5000/– अनुदान दिया जाता है।
9. उत्तराखण्ड में अधिकतर औद्यानिक कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। गॉव स्तर पर औद्यानिक सम्बन्धी विभिन्न कार्य प्रणाली का 07 दिवसीय प्रशिक्षण इन महिलाओं को दिये जाने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण अवधि में इन महिलाओं को 50/– प्रतिदिन की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

## 2. योजना का उद्देश्य :–

- कृषको को सघन उद्यानीकरण हेतु प्रोत्साहित करना।
- व्यवसायिक अंलकृत बागवानी को विकसित करना।
- महिलाओं को प्रशिक्षित कर औद्यानिक विकास में भागीदार बनाना।

## 3. योजना का आच्छादन–

प्रदेश के 13 जनपदों में योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में फलपट्टी विकास, अंलकृत बागवानी एवं पुष्प विकास के अन्तर्गत पुष्प प्रदर्शन, पुष्प प्रशिक्षण तथा औद्यानिक विकास के प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को विभिन्न निवेशों पर राजसहायता देकर उद्यानीकरण के उक्त कार्य सम्पादित किये जाते है।

## 4. योजना की भौतिक प्रगति–

योजनान्तर्गत उन्नत किस्म की सब्जी पौध व बीज, फल पौध, पौध सुरक्षा कार्य, कीट व्याधि की रोकथाम, फलपट्टी विकास, औद्यानिक संयंन्त्र वितरण व रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक कार्य किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत उक्त कार्यो का विवरण **तालिका संख्या–01(अ)** में दिया गया है।

## तालिका सं0–01(अ)

### उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय के विकास की सामान्य वर्ग का वर्षवार विवरण।

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | इकाई | वर्ष 2009–10 | | वर्ष 2010–11 | | वर्ष 2011–12 | | वर्ष 2012–13 | | वर्ष 2013–14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | फल पट्टी विकास। | है0 | 643.38 | 643.38 | 699.22 | 699.22 | 669.90 | 669.90 | 912.54 | 912.54 | 378.80 | 378.80 |
| 2 | बागवानी एव पुष्प विकास | सं0 | 7 | 7 | – | – | 2 | 2 | | | | |
| 3 | फल पौध वितरण | लाख सं0 | 15.62 | 15.62 | 17.17 | 17.17 | 15.450 | 15.450 | 14.40 | 14.40 | 9.00 | 9.00 |
| 4 | सब्जी बीज वितरण | कुन्तल | 969.14 | 969.14 | 1885.96 | 1885.96 | 2211.40 | 2211.40 | 2215.02 | 2215.02 | 2160.05 | 2160.05 |
| 5 | आलू बीज वितरण | कुन्तल | 4908.70 | 4908.70 | 5635.50 | 5635.50 | 3294.03 | 3294.03 | 4712.92 | 4712.92 | 2257.52 | 2257.52 |
| 6 | पौध सुरक्षा कार्य | है0 | 24177.69 | 24177.69 | 36991.68 | 36991.68 | 19801.09 | 19801.09 | 16031.28 | 16031.28 | 12050.64 | 12050.64 |
| 7 | कुरमुला कीट नियंत्रण | है0 | 2000.81 | 2000.81 | 4556.54 | 4556.54 | 1496.29 | 1496.29 | 2696.38 | 2696.38 | 2628.37 | 2628.37 |
| 8 | औद्यानिक संयन्त्र वितरण | सं0 | 7584 | 7584 | 4780 | 4780 | 11591 | 11591 | 6867 | 6867 | 11566 | 11566 |
| 9 | अदरक बीज वितरण | कुन्तल | 965.95 | 965.95 | 2299.35 | 2299.35 | 3220.20 | 3220.20 | 780.01 | 780.01 | 467.56 | 467.56 |
| 10 | हल्दी बीज वितरण | कुन्तल | 523.25 | 523.25 | 942.40 | 942.40 | 3336.71 | 3336.71 | 1752.82 | 1752.82 | 1742.40 | 1742.40 |
| 11 | व्यक्तिगत उद्यानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक | सं0 | 34 | 34 | 36 | 36 | 56 | 56 | 111 | 111 | 120 | 120 |
| 12 | सब्जी प्रदर्शन | सं0 | 1781 | 1781 | 2228 | 2228 | 1580 | 1580 | 1238 | 1238 | 315 | 315 |
| 13 | मशाला प्रदर्शन | सं0 | 48 | 48 | 56 | 56 | – | – | 93 | 93 | – | – |
| 14 | सब्जी पौध वितरण | लाख सं0 | 298 | 298 | 465 | 465 | – | – | 244 | 244 | – | – |
| 15 | पौधालय स्था0हेतु प्रशिक्षण | सं0 | 85.91 | 85.91 | 71.88 | 71.88 | 155.73 | 155.73 | 118.34 | 188.34 | 236.26 | 236.26 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है जिसका विवरण **तालिका सं0–01(ब)** में दिया गया है।

## तालिका सं0–01(ब)

### उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय के विकास की एस0सी0पी0/वर्षवार का विवरण।

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | इकाई | वर्ष 2009–10 | | वर्ष 2010–11 | | वर्ष 2011–12 | | वर्ष 2012–13 | | वर्ष 2013–14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि |
| 1 | चयनित क्षेत्रों में फल पट्टी विकास। | है0 | 4.40 | 4.40 | 11.50 | 11.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 18.00 |
| 2 | फल पौध वितरण | लाख सं0 | 3.34 | 3.34 | 3.82 | 3.82 | 3.69 | 3.69 | 2.91 | 2.91 | 1.74 | 1.74 |
| 3 | सब्जी बीज वितरण | कुन्तल | 231.25 | 231.25 | 395.33 | 395.33 | 498.64 | 498.64 | 413.47 | 413.47 | 747.37 | 747.37 |
| 4 | आलू बीज वितरण | कुन्तल | 1574.74 | 1574.74 | 2259.19 | 2259.19 | 2206.40 | 2206.40 | 1718.82 | 1718.82 | 979.06 | 979.06 |
| 5 | पौध सुरक्षा कार्य | है0 | 5069.53 | 5069.53 | 4585.50 | 4585.50 | 3653.13 | 3653.13 | 3004.50 | 3004.50 | 2601.18 | 2601.18 |
| 6 | कुरमुला कीट नियंत्रण | है0 | 208.00 | 208.00 | 194.00 | 194.00 | 311.17 | 311.17 | 402.24 | 402.24 | 570.17 | 570.17 |
| 7 | औद्यानिक संयन्त्र वितरण | सं0 | 1613 | 1613 | 995 | 995 | 1892 | 1892 | 1115 | 1115 | 2385 | 2385 |
| 8 | अदरक बीज वितरण | कुन्तल | 175.74 | 175.74 | 308.45 | 308.45 | 343.89 | 343.89 | 120.12 | 120.12 | 78.50 | 78.50 |
| 9 | हल्दी बीज वितरण | कुन्तल | 78.10 | 78.10 | 154.21 | 154.21 | 201.50 | 201.50 | 392.14 | 392.14 | 172.50 | 172.50 |
| 10 | व्यक्तिगत उद्यानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक | सं0 | 6 | 6 | 20 | 20 | 9 | 9 | 13 | 13 | 37 | 37 |
| 11 | सब्जी प्रदर्शन | सं0 | 651 | 651 | 371 | 371 | 462 | 462 | 265 | 265 | 40 | 40 |
| 12 | मशाला प्रदर्शन | सं0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 13 | सब्जी पौध वितरण | लाख सं0 | 69 | 69 | 70 | 70 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 14 | पौधालय स्था0हेतु प्रशिक्षण | सं0 | 12.08 | 12.08 | 10.88 | 10.88 | 13.70 | 13.70 | 10.86 | 10.86 | 32.23 | 32.23 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख।

योजनान्तर्गत उपरोक्त तालिका के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है जिसका विवरण **तालिका सं0–01(स)** में दिया गया है।

तालिका सं0–01(स)

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय के विकास की टी0एस0पी0/वर्षवार का विवरण।

| क्र. स. | योजना का नाम | इकाई | वर्ष 2009–10 | | वर्ष 2010–11 | | वर्ष 2011–12 | | वर्ष 2012–13 | | वर्ष 2013–14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि | वार्षिक लक्ष्य | कुल उपलब्धि |
| 1 | फल पट्टी विकास। | है0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.60 | 38.60 |
| 2 | फल पौध वितरण | लाख सं0 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 1.04 | 1.04 | 0.33 | 0.33 |
| 3 | सब्जी बीज वितरण | कुन्तल | 75.72 | 75.72 | 36.66 | 36.66 | 43.95 | 43.95 | 56.37 | 56.37 | 91.32 | 91.32 |
| 4 | आलू बीज वितरण | कुन्तल | 1450.81 | 1450.81 | 1247.00 | 1247.00 | 166.65 | 166.65 | 746.29 | 746.29 | 581.71 | 581.71 |
| 5 | पौध सुरक्षा कार्य | है0 | 668.11 | 668.11 | 845.35 | 845.35 | 506.82 | 506.82 | 336.16 | 336.16 | 301.15 | 301.15 |
| 6 | कुरमुला कीट नियंत्रण | है0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 35.55 | 35.55 | 73.47 | 73.47 |
| 7 | औद्यानिक संयन्त्र वितरण | सं0 | 189 | 189 | 119 | 119 | 237 | 237 | 113 | 113 | 523 | 523 |
| 8 | अदरक बीज वितरण | कुन्तल | 16.32 | 16.32 | 73.00 | 73.00 | 37.64 | 37.64 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| 9 | हल्दी बीज वितरण | कुन्तल | 9.60 | 9.60 | 12.36 | 12.36 | 34.50 | 34.50 | 28.29 | 28.29 | 54.00 | 54.00 |
| 10 | कोरोगेटेड बौक्स वितरण | सं0 | 15 | 15 | 24 | 24 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | सब्जी पौध वितरण | लाख सं0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख।

योजनान्तर्गत औद्यानिक संयंन्त्र वितरण व व्यक्तिगत उद्यानों में उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था(रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक) का वर्षवार/जनपदवार विवरण **तालिका संख्या–02** में दिया गया है।

तालिका संख्या–02

योजनान्तर्गत औद्यानिक संयंन्त्र, रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का जनपद/वर्षवार विवरण।

(वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 तक) (संख्या में)

| क्र.सं. | जनपद | औद्यानिक संयंन्त्र | रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | नैनीताल | 2303 | 67 |
| 2 | अल्मोडा | 4260 | 28 |
| 3 | बागेश्वर | 2285 | 15 |
| 4 | पिथौरागड़ | 3303 | 26 |
| 5 | चम्पावत | 2520 | 28 |
| 6 | उधामसिंह नगर | 5400 | 0 |
| 7 | देहरादून | 6185 | 0 |
| 8 | हरिद्वार | 1283 | 0 |
| 9 | पौड़ी | 7998 | 195 |
| 10 | टिहरी | 2443 | 02 |
| 11 | चमोली | 6709 | 13 |
| 12 | उत्तरकाशी | 6008 | 0 |
| 13 | रूद्रप्रयाग | 1537 | 03 |
| | योग | 51569 | 377 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख।

## 5. योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति :–

प्रदेश के 13 जनपदों में उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय का विकास योजनान्तर्गत जिला सैक्टर के अन्तर्गत सामान्य वर्ग व राज्य सैक्टर के अन्तर्गत

एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0 के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु प्राविधानित स्वीकृति एवं व्यय का वर्षवार विवरण **तालिका सं0–03** में दिया गया हैः–

**तालिका सं0–03**

**जिला सैक्टर व राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उन्नत किस्म की रोपड़ सामग्री के उत्पादन /पौधालयों के विकास की वर्षवार वित्तीय प्रगति का विवरण।**

(धनराशि लाख में)

| क. स | विवरण | वर्ष 2009–10 | | वर्ष 2010–11 | | वर्ष 2011–12 | | वर्ष 2012–13 | | वर्ष 2013–14 | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय | स्वीकृत | व्यय |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | सामान्य वर्ग | 230.69 | 230.69 | 156.99 | 156.99 | 253.09 | 253.09 | 155.00 | 155.00 | 312.86 | 312.86 | 1108.63 | 1108.63 |
| 2 | अनुसूचित जाति उपयोजना | 46.73 | 46.73 | 46.88 | 46.88 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 24.70 | 24.70 | 170.31 | 170.31 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | 6.49 | 6.49 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 24.49 | 24.49 |
| | योग | 283.91 | 283.91 | 208.87 | 208.87 | 283.09 | 283.09 | 185.00 | 185.00 | 342.56 | 342.56 | 1303.43 | 1303.43 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख

योजनान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि का जनपद/वर्षवार विवरण **तालिका संख्या–04** में दिया गया है।

**तालिका सं0–4**

**योजनान्तर्गत औद्यानिक संयंन्त्र, रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का जनपद/वर्षवार विवरण।**

| क.सं. | जनपद | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नैनीताल | 19.00 | 15.05 | 21.20 | 15.28 | 30.00 | **100.52** |
| 2 | अल्मोड़ा | 28.20 | 19.60 | 23.80 | 12.95 | 22.76 | **107.31** |
| 3 | बागेश्वर | 6.74 | 9.76 | 13.60 | 8.00 | 25.37 | **63.47** |
| 4 | पिथौरागढ़ | 31.28 | 21.16 | 27.61 | 19.76 | 35.68 | **135.49** |
| 5 | चम्पावत | 19.68 | 17.75 | 18.05 | 10.60 | 23.00 | **89.08** |
| 6 | उधमसिंह नगर | 9.70 | 6.78 | 2.91 | 2.94 | 5.39 | **27.72** |
| 7 | देहरादून | 14.44 | 10.18 | 19.70 | 11.00 | 21.98 | **77.30** |
| 8 | हरिद्वार | 4.63 | 4.82 | 5.52 | 4.16 | 6.75 | **25.88** |
| 9 | पौड़ी | 40.22 | 30.20 | 54.00 | 39.33 | 56.65 | **220.40** |
| 10 | टिहरी | 25.03 | 16.00 | 23.33 | 18.92 | 43.38 | **126.66** |
| 11 | चमोली | 17.48 | 12.98 | 16.40 | 8.67 | 17.14 | **72.67** |
| 12 | उत्तरकाशी | 55.97 | 35.58 | 45.92 | 26.29 | 52.74 | **216.50** |
| 13 | रूद्रप्रयाग | 11.54 | 8.52 | 11.55 | 7.10 | 11.72 | **50.43** |
| | **योग** | 283.91 | 208.37 | 283.59 | 185.00 | 342.56 | 1303.43 |

स्रोत – विभागीय अभिलेख।

## 6. अध्ययन की आवश्यकता :–

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उत्पादन/पौधालय के विकास की योजना मूल्यांकन अध्ययन कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उक्त योजना का चयन किया गया।

7. मूल्याकन अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् है :–

(1) योजना का कार्यान्वयन एवं नियोजन

- योजना संचालन/क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक व्यवस्था।
- योजना हेतु चयनित फलपट्टियों के विकास योजना में चयन का आधार एवं चयन प्रकिया।
- चयनित फलपट्टियों में सम्पादित कार्य।
- चयनित फलपट्टियों में सम्पादित कार्यों तथा पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति।

(2) योजना की भौतिक प्रगति

- योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में फलपट्टी विकास, औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता का विश्लेषण व विकासखण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत लाभान्वितों की प्रतिकिया।

(3) योजना की वित्तीय व्यवस्था

- योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता एवं पर्याप्तता तथा उपयोग।

(4) योजना की उपयोगिता एवं प्रभाव

- चयनित फलपट्टियों में रोपित पौधों (प्रजातिवार) का विवरण।
- चयनित फलपट्टियों में उत्पादित उन्नतशील पौध का (प्रजातिवार) विवरण।
- उन्नतशील सब्जी, आलू, अदरक, हल्दी बीजों के वितरण की स्थिति एवं लाभान्वितों की प्रतिकिया।
- योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा–कुरमुला कीट नियन्त्रण, पौध सुरक्षा कार्यक्रम, औद्यानिक संयंन्त्र वितरण, सिंचाई हेतु रेनहारवेन्टिंग टैंक की वर्तमान स्थिति एवं उपयोगिता।
- योजनान्तर्गत औद्यानिकी प्रशिक्षण देने के पश्चात् लाभान्वितों के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव।
- योजना के सफल संचालन से पलायन रोके जाने की सम्भावनाऐं।

(5) योजना संचालन अनुभूत कठिनाईयां एवं निराकरण के सुझाव।

- योजना संचालन में विभागीय कठिनाईयों एवं सफल संचालन के सुझाव।
- योजना के अन्तर्गत कास्तकारों की कठिनाईयों एव अपेक्षायें/सुझाव।

## 8. अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन हेतु जनपदों का चयन वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 तक किये गये कुल व्यय से कुॅमाऊ मण्डल के तीन जनपद व गढ़वाल मण्डल के तीन जनपद जिनके द्वारा अधिक व्यय किया गया है।

प्रत्येक जनपद से फलपट्टी विकास से 50 लाभार्थी, फल पौध एवं सब्जी पौध के वितरण से 50 लाभार्थी, सब्जी, आलू, अदरक, हल्दी बीज के वितरण से 50 लाभार्थी एवं पौध सुरक्षा व कुरमुला कीट नियंन्त्रण से 50 लाभार्थी का साक्षात्कार किया जायेगा। औद्यानिक संयंन्त्र के वितरण से 50 लाभार्थी, रेनवाटर हारवेस्टिंग टैंक से 25 लाभार्थी के निर्माण एवं कय किये गये संयंन्त्रों का भौतिक सत्यापन के साथ लाभार्थी से साक्षात्कार किया जायेगा। न्यादर्श का आकार में दिया गया है।

**न्यादर्श का आकार**

| क्र. सं. | जनपद | व्यय की गयी धनराशि | औद्यानिक संयंन्त्र | रेनवाटर हारवेस्टिंग टैंक | सत्यापन हेतु(लाभार्थी / संयंन्त्र / टैंक संख्या) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पौध वितरण | बीज वितरण | पौध सुरक्षा | संयंन्त्र | टैंक | योग |
| 1 | पिथौरागढ़ | 135.49 | 3302 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 225 |
| 2 | अल्मोड़ा | 107.31 | 4260 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 225 |
| 3 | नैनीताल | 100.52 | 2303 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 225 |
| 4 | पौड़ी | 220.40 | 7998 | 195 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 225 |
| 5 | उत्तरकाशी | 216.50 | 6008 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 200 |
| 6 | टिहरी | 126.66 | 2443 | 02 | 50 | 50 | 50 | 50 | 02 | 202 |
| | योग | 906.88 | 26314 | 318 | 300 | 300 | 300 | 300 | 102 | 1302 |

## 9. अध्ययन संयंत्र :–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित संयंत्रों का उपयोग किया जायेगा :–

- निदेशालय स्तरीय रूप–पत्र।
- जनपद स्तरीय रूप–पत्र।
- चयनित राजकीय फलपट्टियों स्तरीय रूप–पत्र।
- निजी बागान मालिकों एवं लाभान्वित कृषकों(सब्जी बीज, फल पौध)हेतु अनुसूची।
- योजना से सम्बद्ध विभिन्न स्तरीय अधिकारी / कर्मचारियों से विचार–विमर्श हेतु निदेशक प्रसंग।

13. **समय सारणी :–**

प्रस्तुत अध्ययन के कार्यों सम्पन्न करने हेतु निम्नवत् निर्धारित दिवस :–

| | |
|---|---|
| • अध्ययन संयंत्र | 30 दिन |
| • क्षेत्र कार्य | 60 दिन |
| • सारणीयन एवं विश्लेषण | 30 दिन |
| • Power Point प्रदर्शन | 15 दिन |
| • प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण | 15 दिन |
| कुल | **150 दिन** |

Submit Draft report in two (02) copies each in Hindi and English SPC, DDN.

000